रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-27/2019/516/22-02-2019-17(120)/2012

लखनऊ:दिनांक: 15 फरवरी, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अतर सिंह (बन्दी संख्या-26605) पुत्र श्री राजाराम, जो-सिरावली, थाना-सौंरों जनपद-कासगंज का रहने वाला है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-380/1976 में भा0द0वि0 की 302/149, 324/149, 323/149, 147 व 201 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, एटा के आदेश दिनांक 15.11.1977 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया की समय पूर्व रिहाई के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट, की संस्तुति न किये जाने सम्बन्धी आख्या तथा दयायाचिका समिति की संस्तुति के आधार पर बन्दी की आयु 72 वर्ष होने, 19 वर्ष से अधिक अपरिहार, 36 वर्ष से अधिक सपरिहार सजा काटने, वृद्धावस्था तथा अच्छे जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-27/2019/516(1)/22-2-2019 तद्दिनाक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।
3- पुलिस अधीक्षक, कासगंज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार फतेहगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in